उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.–१२वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

F72608

संख्या– /३२/२०१६/ दिनांक– 20-1-16

कार्यालय–ज्ञाप

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रदूषणकारी इकाईयों हेतु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किए जाने, उत्प्रवाह की मात्रा को समयबद्ध रूप से कम किए जाने तथा उद्योगों द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह का पुनः प्रयोग कर, शून्य उत्प्रवाह व्यवस्था स्थापित करने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देशों के समयबद्ध अनुपालन को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा पूर्व निर्गत कार्यालय–ज्ञाप संख्या–एफ ५६२८१/३२/२०१५, दिनॉक २३–०४–२०१५ का अतिक्रमण करते हुए तात्कालिक प्रभाव से एतद्द्वारा विभिन्न श्रेणी के उद्योगों को बोर्ड द्वारा एक साथ प्रदान की जाने वाली सहमति अवधि निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क्र0सं0	विवरण	निर्णित सहमति की अवधि
1–	लाल श्रेणी के प्रदूषकारी उद्योग	02 वर्ष
2–	नारंगी श्रेणी के उद्योग	03 वर्ष
3–	हरी श्रेणी के उद्योग	05 वर्ष

उपरोक्तानुसार उद्योगों से सहमति प्राप्त करने संबंधी पूर्व निर्धारित प्रपत्र में जितनी अवधि हेतु सहमति आवेदित की जाती है, उतनी अवधि का निर्धारित सहमति शुल्क एक साथ देय होगा तथा सामान्य परिस्थिति में उपरोक्तानुसार अंकित अधिकतम अवधि हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त सहमति आदेश निर्गत किया जाएगा।

उपरोक्त कार्यवाही के अतिरिक्त संबंधित इकाई का समय–समय पर अनुश्रवण किया जाना व सहमति शर्तों की अवहेलना की स्थिति में सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति खण्डित भी की जा सकेगी।

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

(संजीव सरन)
अध्यक्ष

पृ० सं० एवं दिनांक– उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. अध्यक्ष महोदय के निजी सहायक।
२. बोर्ड मुख्यालय के समस्त इकाईयों के नियंत्रक अधिकारी/ समस्त क्षेत्रीय अधिकारी।
३. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
४. गार्ड फाइल।

(एस० सी० यादव)
सदस्य–सचिव